

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- /2026

संख्या-12/निजी-70305/2023 सा0प्र0-

/श्रीमती निधि कुमारी, बि0प्र0से0

(को0क्र0-782/26), वरीय उप समाहर्ता, पूर्णियाँ के द्वारा विभिन्न अवधियों में उपभोग की गयी छुट्टी को निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) दिनांक-11.07.2025 से 21.08.2025 तक (कुल-6 सप्ताह): बिहार सेवा संहिता के नियम-220(घ) टिप्पणी-1 के तहत प्रसव छुट्टी के रूप में।
- (ii) दिनांक-25.08.2025 से 14.09.2025 तक (कुल-21 दिन): बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित छुट्टी के रूप में।
- (iii) दिनांक-13.11.2025 से 24.12.2025 तक (कुल-6 सप्ताह): बिहार सेवा संहिता के नियम-220(घ) टिप्पणी-1 के तहत प्रसव छुट्टी के रूप में।
- (iv) दिनांक-25.12.2025 से 23.03.2026 तक (कुल-89 दिन): बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित छुट्टी के रूप में।

2. श्रीमती कुमारी, बि0प्र0से0 को उक्त छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त कुल-61 (इकसठ) दिनों की उपार्जित छुट्टी एवं 105 (एक सौ पाँच) दिन की अर्द्धवैतनिक छुट्टी शेष आदेय होगी।

3. श्रीमती कुमारी को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी का उपभोग करने के उपरान्त का वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-


(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70305/2023 सा0प्र0- 8842 /पटना, दिनांक-19.5.2026

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/श्रीमती निधि कुमारी, बि0प्र0से0 (को0क्र0-782/26), वरीय उप समाहर्ता, पूर्णियाँ/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।